न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी दिव्या आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र सं. 123/2024
अनुवान जितेन्द्रसिंह आदि बनाम बरजी देवी आदि
आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 113, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 02.04.2025

1. जतेन्द्रसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 8. सरदारशहर जिला चूरु
2. सुप्यार कंवर पत्नी रिछपालसिंह जाति राजपूत निवासी सरदारशहर जिला चूरु

—प्रार्थीगण

बनाम

1. बरजीदेवी पत्नी भगवानाराम जाति प्रजापत (कुम्हार) निवासी वार्ड नं. 9 सरदारशहर जिला चूरु
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरु (राज.)

—अप्रार्थीगण

उपस्थिति –

1. श्री कालीचरण शर्मा विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण
2. एकपक्षीय कार्यवाही वास्ते अप्रार्थी सं. 1
3. पैरोकार राज अप्रार्थी सं. 2

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण कस्बा सरदारशहर के मूल निवासी हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 105 क्षेत्रफल 4.6400 हैक्टेयर रोही ग्राम सवाई बास बलवानियां में संयुक्त खातेदारी व कब्जा–काश्त का स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि का मौके पर राजस्व रकबा कम है यानि अपनी खातेदारी सूरत रकबा मौके पर नहीं है जो पडौसी खातेदार अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी कृषि भूमि में दबा रखा है, जिसकी सही पैमाईश करवाकर पुख्ता सीमाचिह्न कायम करवाया जाकर पुख्ता पत्थरगढ़ी कायम करवाई जानी न्यायसंगत है। जिसके लिए प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 105 क्षेत्रफल 4.6400 हैक्टेयर एवं अप्रार्थीगण सं. 1 की कृषि भूमि खसरा नं. 104 क्षेत्रफल 4.5500 हैक्टेयर रोही ग्राम सवाई बास बलवानियां जो पूर्व में एक ही खसरे की एकल शामलाती कृषि भूमि थी; जिसमें से प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 की 4.5500 हैक्टेयर (18 बीघा) भूमि विक्रय कर दी थी जो वर्तमान में अप्रार्थीया सं. 1 के नाम खातेदारी में चली आ रही है तथा शेष हिस्सा भूमि खसरा नं. 105 क्षेत्रफल 4.6400 हैक्टेयर प्राथीगण के नाम खातेदारी में चली आ रही है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 105 क्षेत्रफल 4.6400 हैक्टेयर रोही ग्राम: सवाई बास बलवानियां के उत्तरी दिशा में चिपता खसा नं. 104 क्षेत्रफल 4.5400 हैक्टेयर अप्रार्थी का खेत लगता है। पूर्वी दक्षिणी दिशा में सीमा रोही ग्राम : साजनसर लगती है तथा पश्चिमी दिशा में चिपता हुआ खसरा नं. 106, 109 लगता है; जिससे प्रार्थी का कोई विवाद

सहायक अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

नहीं है; इनकी कृषि भूमि पूरी है। अप्रार्थी सं. 1 अपनी कृषि भूमि में दबा रखी है तथा अतिक्रमण कर रखा है। इसलिए प्रार्थीगण ने अपने अन्य पडौसी खातेदारान को पक्षकार प्रार्थना–पत्र नहीं बनाया है, केवलमात्र अप्रार्थीनी ने खसरा नं. 104 व 105 के मध्य की सीमा की आकृति को राजस्व नक्शा से विपरीत मौका स्थिति बनाकर प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर दबा रखी है। जिसकी पैमाईश करवाई जाकर पुख्ता पत्थरगढ़ी कायम करवाई जानी न्यायसंगत है।

प्रार्थीगण की भूमि को अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि में अतिक्रमी बनकर दबा रखी है। जिससे प्रार्थीगण की भूमि मौके पर राजस्व रिकॉर्ड से काफी कम है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं. 2 के समक्ष अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने बाबत आवेदन पेश किया; जिस पर तहसीलदार सरदारशहर अप्रार्थी सं. 2 ने अपने आदेश क्रमांक भू.अ./807 दिनाँक 14 जून 2024 को हल्का पटवारी द्वारा दिनाँक 03 जुलाई 2024 को प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नं. 105 क्षेत्रफल 4.6400 हैक्टेयर रोही ग्राम सवाई बास बलवानियां का सीमाज्ञान जरीब चलाकर व मोबाईल एप्प दोनों से मौके पर किया गया तब मौके पर प्रार्थीगण की भूमि काफी कम हुई व अप्रार्थीया की भूमि काफी ज्यादा हुई जो अप्रार्थीया ने अपनी भूमि में दबा रखा है। प्रार्थीगण ने मुताबिक सीमाज्ञान अपनी भूमि देने का कहा तो अप्रार्थीनी ने भूमि देने से साफ मना कर दिया तब प्रार्थीगण की ओर से पत्थरगढ़ी का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के उत्तरी पासे के पड़ोसी अप्रार्थीनी खातेदार है; जिन्हें अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान, पैमाईश, पत्थरगढ़ी करवाने का पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 111, 113, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 105 क्षेत्रफल 4.6400 हैक्टेयर रोही ग्रामः सवाई बास बलवानियां तहसील सरदारशहर का पूर्णरूप से सीमाज्ञान करवाया जाकर नियमानुसार पुख्ता पत्थरगढ़ी कायम करवाई जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन सशुल्क तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के डाक रजिस्ट्री की रसीद पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं. 1 को बार–बार अवसर प्रदान करने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 को बार–बार अवसर प्रदान करने के बावजूज जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब पैरोकार राज बन्द किया गया। प्रकरण में राज्यहित नहीं है। प्रार्थीगण के खेत की पत्थरगढी होने से राज्य को कोई हानि नहीं होगी। अतः इनका जवाब बन्द कर पत्रावली बहस मुकर्रर की गई।

बहस पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थीगण की भूमि को अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि में अतिक्रमी बनकर दबा रखी है। जिससे प्रार्थीगण की भूमि मौके पर राजस्व रिकॉर्ड से काफी कम है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नं. 105 क्षेत्रफल 4.6400 हैक्टेयर रोही ग्राम सवाई बास बलवानियां का सीमाज्ञान जरीब चलाकर व मोबाईल एप्प दोनों से मौके पर किया गया तब मौके पर प्रार्थीगण की भूमि काफी कम हुई व अप्रार्थीया की भूमि काफी ज्यादा हुई जो अप्रार्थीया ने अपनी भूमि में दबा रखा है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के उत्तरी पासे के पड़ोसी अप्रार्थीनी खातेदार है; जिन्हें अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान, पैमाईश, पत्थरगढ़ी करवाने का पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र के तथ्यों, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख व प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन व गौर किया गया। वर्णित विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

पाया गया कि कृषि भूमि खसरा नं. 105 क्षेत्रफल 4.6400 हैक्टेयर रोही ग्राम सवाई बास बलवानियां प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण जिस खेत की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं उस खेत के स्वयं प्रार्थीगण खातेदार है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र पुष्ट व प्रमाणित पाया जाता है फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सरदारशहर आदेशित किया जाता है कि वह दक्ष पटवारियों व गिरदावरों की टीम गठित कर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 105 क्षेत्रफल 4.6400 हैक्टेयर रोही ग्राम सवाई बास बलवानियां तहसील सरदारशहर की सीमा पर सीमाचिन्ह कायम किये जाकर एवं पेमाईश कराकर पुख्ता पत्थरगढी करावे। पेमाईश एवं पत्थरगढ़ी का समस्त खर्चा प्रार्थीगण वहन करेंगे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार संरदारशहर को भिजवाई जावे। विवाद की स्थिति में पुलिस इमदाद से निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाये।

दिव्या (आर.ए.एस.)
(सहायक कलक्टर)
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 02/04/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)